



29



न्यायालय:- माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र.क. /2017 निगरानी **II/निगरानी/टीकमगढ़/भू-रां/2017/2831**

1. हरिराम पुत्र तुलसी लोधी
2. मानकलाल पुत्र धुन्दा लोधी
3. चतुर } पुत्रगण
4. गोकुल लोधी } खन्जू लोधी
5. रामप्रसाद } पुत्रगण
6. धनीराम } गोकुल
7. लक्ष्मण पुत्र खन्जू लोधी

निवासी ग्राम बरमे तहसील बल्देवगढ़ जिला
टीकमगण म.प्र.

श्री सतीश सिंह चालुस प्र.
द्वारा आदेश दि 25/08/2017 को
प्रस्तुत

25-8-17
राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

--- आवेदकगण

बिरुद्ध

रतीराम पुत्र हज्जू लोधी
निवासी ग्राम बरमे तहसील बल्देवगढ़ जिला
टीकमगढ़ म0प्र0

--- अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959
न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डल डारगुवा तहसील बल्देवगढ़
जिला टीकमगढ़ के प्र.क. 62/2016-17/अ-12 में पारित आदेश
दिनांक 30.06.2017 के बिरुद्ध निगरानी प्रस्तुत।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2017/2831

हरीराम विरूद्ध रतीराम

स्थान तथा दिनांक	कार्यकही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-12-2018	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत ।2. आवेदक हरीराम की ओर से अभिभाषक श्री एस.पी. धाकड़ उपस्थित ।3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल डारगुवा तहसील बल्देवगढ़ के सीमांकन आदेश दिनांक 30-06-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी ।4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है ।5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 24-01-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।	<p>(आर.क. जैन) सदस्य</p> <p>20.12.18</p>